

# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर

शिव (वाड़मेर)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

..... धाराम पुत्र वनाम ..... श्री खारवा पुत्र गुलाबखान  
 गुलराम जाति दुसलतान, निवासी कापड़ा  
 जाति - कुमर, नि. - गाड़डा तह. - शिव, जिला - वाड़मेर  
 तह. - शिव, जिला - वाड़मेर

किस्म मुकदमा... राज. वाड... अधि. मुकदमा नम्बर... 128... / ... 2022...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/08/22	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री... <u>अधिराम कुमावत</u> ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 188, 209..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/08/22</u> को पेश हो।	
25-8-22	पत्रावलो पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>31/8/22</u> को पेश हो।	
31-08-22	पत्रावली पेश हुई। वादी पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी गण के तामिल मुदा नोटिस पेश किए गए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी गण का इंतजार किया जाकर आईन्दा दिनांक <u>14-09-22</u> को पेश हो।	
14/9/22	पत्रावलो पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>15/9/22</u> को पेश हो।	




नम्बर  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

4/4/2025

पत्रावली आज पेश, वादी वकील उपर,  
वादी वकील की शैक्षणिक दुरुस्था प्राप्त, पत्रावली  
वादी वकील को पेश हुई है। 5/5/2025  
को पेश है,


  
सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

5.5.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के  
कारण इलावा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दि.गंक 12.06.25 को पेश हो।

12.06.25

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।  
पत्रावली में जेरी हेतु वादी व वकील  
को अदालत सदन में बार-बार  
आवाजे दी जाने के बावजूद कोई  
उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में  
कार्यवाही को लेकर जंजीर नहीं होने  
तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त  
वाद इसी स्टेज पर अदालत हाजरी  
व अदालत जेरी में खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली नम्बर ले कर रोक  
दाखिल दफ्तर हो।  
  
सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)